कार्यालय, निदेशक ,माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक – शिविरा– माध्य / छात्रवृत्ति / सेल E / विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा / 2018-19 दिनांक – 21/01/2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक (मुख्यालय)

विषय : विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में राज्य के समस्त अनुदानित / गैर-अनुदानित विद्यालयों को सम्मिलित करने बाबत |

प्रसंग : राज्य बीमा व प्रावधायी निधि विभाग जयपुर के पत्रांक GIF/ GIS/ SSI/ Aided.Non Aided/ 2018-19/2277 दिनांक 26.12.18 के क्रम में |

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में राज्य के समस्त अनुदानित / गैर-अनुदानित (निजी) विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण पूर्ण या आंशिक आधार पर स्थायी रूप से अपंग हुए विद्यार्थियों के माता-पिता को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) के जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है |

उपरोक्त शिक्षण संसथानों पर लागू कल्याणकारी प्रकृति की इस दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत शिक्षण संसथान द्वारा प्रीमियम राशि (ई-ग्रास द्वारा) मय विद्यार्थियों की सूची सम्बंधित जिले के राज्य बीमा व प्रावधायी निधि विभाग कार्यालय में ज़मा करने की दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिए पालिसी शर्तों के अनुसार जोखिम कवर किया जाता है | वर्तमान में इस योजना के तहत दो श्रेणियां है - (1) 50/- रुपये प्रीमियम पर बीमाधन 1.00 लाख रुपये तथा (2) 25/- रुपये प्रीमियम पर बीमाधन 50 हज़ार रुपये | इस योजना के अंतर्गत पालिसी की शर्तें राजकीय विद्यालयों हेतु ज़ारी की गयी शर्तों के अनुरूप ही है जो कि बीमा विभाग की वेबसाइट http://sipf.rajasthan.gov.in/GIStudentSafetyAccidentInsurance.aspx पर उपलब्ध है तथा सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र के साथ सलंग्न भी की जा रही है |

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त अनुदानित / गैर-अनुदानित (निजी) विद्यालयों के कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों को इस दुर्घटना बीमा के अंतर्गत बीमा करवाना सुनिश्चित करवाते हुए इस कार्यालय को अवगत करावें |

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित करें |

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(नथमल डिडेल)
(आई.ए.एस)
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :

1. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, बीकानेर को सूचनार्थ।
2. निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जय सिंह हाईवे, जयपुर – 302016 राजस्थान को प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) को योजना की क्रियान्विति व प्रभावी प्रबोधन हेतु।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. वरिष्ठ संपादक, शिविरा अनुभाग को राज्य बीमा व प्रावधायी निधि विभाग के पत्र की प्रति संलग्न करते हुए लेख है कि शिविरा के आगामी अंक में उक्त योजना में किये गए विस्तार को प्रकाशित करे।
6. रक्षित पत्रावली।

21/11/2019

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर